राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2591 / 2023

प्रियंका **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवाडा–आर, रानीवाडा, जिला जालौर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खाटूश्यामजी, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.10.2023
आदेश की दिनांक : 03.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवाडा–आर, जिला जालौर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवाडा–आर, जिला जालौर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खाटूश्यामजी, जिला सीकर में किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश शर्त संख्या 2 निम्न प्रकार से है :–

"जिन व्याख्याताओं का परिवीक्षा काल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।"

उक्त शर्त के कारण अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया क्योंकि अपीलार्थी का परिवीक्षा काल पूरा नहीं हुआ था। जबकि अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी का वर्तमान में परिवीक्षा काल पूरा हो गया है और उसे स्थानान्तरण आदेश दिनांक 18.08.2022 की पालना में कार्यमुक्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि स्थानान्तरण आदेश जारी होने के समय अपीलार्थी परिवीक्षा काल में थी, जिस कारण उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि वर्तमान में अपीलार्थी का दो वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण हो चुका है, ऐसे में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 18.08.2022 में वर्णित शर्त संख्या 2 अपीलार्थी पर लागू नहीं होती है। ऐसे में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 18.08.2022 की पालना में कोई बाधा नहीं रही है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को स्थानान्तरण आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक–1) की पालना में कार्यमुक्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे।

अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य